

प्रेषक,

प्रमोद चन्द्र गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासना

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 446 /रा०उ०शि०प०/20
दिनांक 29-12-2016

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा कला एवं शिल्प महाविद्यालय को देय अनुदान की स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-5/2016/1402/सत्तर-4-2016-3(13)/2010, दिनांक 21.10.2016 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-5/2016/1402/सत्तर-4-2016-3(13)/2010, दिनांक 21.10.2016 द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू० 44,04,40,000/- (रूपये चवालिस करोड़ चार लाख चालीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू० 27,02,20,000/- (रूपये सत्ताईस करोड़ दो लाख बीस हजार मात्र) के स्थान पर रू० 17,02,20,000/- (रूपये सत्रह करोड़ दो लाख बीस हजार मात्र) तथा लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू० 1,24,97,000/- (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख सत्तनावे हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू० 76,67,000/- (रूपये छिहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र) के स्थान पर रू० 48,30,000/- (रूपये अड़तालिस लाख तीस हजार मात्र) कुल रूपये 17,50,50,000/- (रूपये सत्रह करोड़ पचाल लाख तीस हजार मात्र) समझा / पढ़ा जाय।

2- शासनादेश संख्या-5/2016/1402/सत्तर-4-2016-3(13)/2010, दिनांक 21.10.2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि के आहरण की स्थिति में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ हेतु स्वीकृत धनराशि में से रू० 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र) तथा कला एवं शिल्प महाविद्यालय हेतु स्वीकृत धनराशि में से रू० 28,37,000/- (रूपये अठाईस लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि समर्पित / राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-5/2016/1402/सत्तर-4-2016-3(13)/2010, दिनांक 21.10.2016 इस सीमा तक संशोधित समझा / पढ़ा जाय।

4- शासनादेश संख्या-5/2016/1402/सत्तर-4-2016-3(13)/2010, दिनांक 21.10.2016 में उल्लिखित अन्य शर्तें आदि यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(प्रमोद चन्द्र गुप्ता)
विशेष सचिव


संख्या- 15/2016/1737/सत्तर-4-2016-3(13)/2010, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार को (सूचना आडिट), उ०प्र० इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।

श्री 107m
R-A
29/12/16

3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा , उ०प्र० इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
7. ✓ अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छाटां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्तानुसार निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment संशोधित करने तथा उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
उप सचिव